षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-23.07.2018 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह, स०वि०स० श्री संजय सरावगी, स०वि०स० श्री निरंजन राम, स०वि०स० श्री शत्रुधन तिवारी, स०वि०स० श्री मिथिलेश तिवारी, स०वि०स० श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० (क्षेत्र संख्या-203) श्री संजीव चौरसिया, स०वि०स० श्री श्यामबाबू प्रसाद यादव, स०वि०स० श्री विद्या सागर सिंह निषाद, स०वि०स० श्री मेवालाल चौधरी, स०वि०स० श्री लाल बाबू प्र० गुप्ता, स०वि०स० श्री अवधेश सिंह, स०वि०स० श्रीमती गायत्री देवी, स०वि०स० श्री प्रभुनाथ प्रसाद, स०वि०स० श्री विद्या सागर केसरी, स०वि०स० श्री मनोज कुमार, स०वि०स० श्री नौशाद आलम, स०वि०स० श्री राज कुमार राय, स०वि०स०	"बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से अलग-अलग पदों के लिये सरकारी नौकरियों में परीक्षा लेकर भर्ती की जाती है, इसमें सरकार के ग्रुप 'बी' एवं 'सी' के पद शामिल होते हैं जिसके अन्तर्गत संयुक्त इंटरमीडिएट तथा संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षाएँ प्रमुख है । संयुक्त स्नातक स्तरीय तथा इंटरस्तरीय बहाली का विज्ञापन वर्ष 2014 में आई थी जो अभीतक पूरी नहीं हो पाई है । रेगुलर बहाली के लिये परीक्षा नहीं होने से हजारों अभ्यर्थी निराश एवं हताश हैं । अत: गैप पड़े वर्षों की बहाली तथा रेगुलर परीक्षा आयोजित कर राज्य के अभ्यर्थियों को नौकरी देने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	सामान्य प्रशासन

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	डॉ० रामानुज प्रसाद, स०वि०स०	''सोनपुर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में सरकार द्वारा अनसर्वेड लैण्ड / टोपूलैण्ड सर्वे के नाम पर भूमि का निबंधन विगत् 04 वर्षों से बंद कर दिया गया है तथा पूर्व से निबंधित भूमि का दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी का कार्य भी बंद कर दिया गया है, जिससे पूरे प्रदेश के किसान परेशान हो रहे हैं । किसानों की जमीन का रशीद नहीं कटने के चलते फसल क्षतिपूर्ति की राशि, डीजल अनुदान की राशि, फसल बीमा की राशि इत्यादि सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रह जाते हैं तथा गरीबों को इंदिरा आवास से भी वंचित रहना पड़ रहा है । साथ ही छात्र-छात्राओं को आवासीय एवं आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिससे सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं के लिए चलायी जा रही योजनाओं से वे वंचित रह जाते हैं । अतएव सोनपुर विधान सभा क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश में अनसर्वेड भूमि का अविलम्ब निबंधन, दाखिल-खारिज एवं जमाबंदी का कार्य प्रारम्भ कराने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ ।"	राजस्व एवं भूमि सुधार

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/18- 9081 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यगण / माननीय मुख्यमंत्री / माननीय उप मुख्यमंत्री / माननीय मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय, पटना / संसदीय कार्य विभाग / सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 20.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-23/18- 9081 / वि०स०, पटना, दिनांक-21 जुलाई, 2018 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रदीप कुमार राय 20.7.18
(प्रदीप कुमार राय)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।